(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग – 1757 – II – 16

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.   / 2016

केमलापति पत्नी श्री हंसलाल साहू, निवासी ग्राम गहिलगढ, पश्चिम, थाना विन्ध्यनगर, तहसील व जिला सिंगरौली म.प्र. ———आवेदिका

विरूद्ध

एन.टी.पी.सी लिमिटेड, द्वारा समूह महाप्रंबधक, रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रिहन्द नगर, जिला सोनभद्र उ.प्र. ———अनावेदक

दिनांक 2-6-16 को श्री विनोद कुमार अभि0 द्वारा प्रस्तुत / 2-6-16

विनोद भार्गव एडवोकेट 2-6-16

न्यायलय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 759 / अपील / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 30 / 05 / 2016 के विरूद्ध म.प्र. भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, आवेदिका के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 141 रकबा 0.247 हे. ग्राम गहिलगढ़ (पश्चिम), तहसील व जिला सिंगरौली में स्थित है इसमें से कुछ भूमि रकबा 0.114 हे. अनावेदक को रेलवे लाईन हेतु अर्जित किया गया था, जिसके कुछ भाग में से रेलवे लाईन डाली गयी तथा शेष भूमि आज भी रेलवे लाईन के पास खाली पड़ी है जो अनावेदक की है।

2. यहकि, अनावेकद की खाली पड़ी भूमि से हटकर आवेदिका का मकान बना हुआ है, शेष भूमि आवेदिका की खाली पडी हुई है। चूंकि अनावेदक द्वारा क्रय की गयी भूमि का नकशा में बंटाकन / तरमीम नहीं कराया गया था इस कारण आवेदिका द्वारा नकशा में सर्वे क्रमांक 141 तक बटांकन / तरमीम हेतु तहसीलदार महोदय, सिंगरौली के समक्ष आवेदन किया गया था। इस आवेदन पर सरहदी कृषकों एवं एन.टी.पी.सी. को स्थल पर उपस्थित रहने हेतु सूचना दी गयी थी। तत्पश्चात स्थल की स्थिति एवं कब्जा अनुसार आवेदिका का मकान एवं उसकी शेष भूमि का सर्वे क्रमांक 141/2 के रूप में तथा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1757–दो/2016 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२–8–2016	उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक एन0टी0पी0सी0 को बिना पक्षकार बनाये और बिना सूचना दिये नक्शा तरमीम किया गया था। चूंकि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये तहसीलदार के नक्शा तरमीम के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित विधिसंगत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–5–16 से की गई है। अपर आयुक्त द्वारा, पारित आदेश में किसी प्रकार अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	